374

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

II/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा/2017/4584

द्वारा विनोद भार्गव अधि०
द्वारा आज दि. 22/11/17 को
प्रस्तुत
बैंच रीडर राजस्व मण्डल 22.11.17
पेशी 5-12-17

1. सुषमा सिंह पत्नी विश्वनाथ सिंह,
2. विक्रम सिंह पिता विश्वनाथ सिंह,
3. [redacted] निकाशसिंह पिता विश्वनाथ सिंह, समस्त निवासीगण– परिहार कम्पयूटर दलदल मोड़ बिजुरी तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

[redacted]

--आवेदकगण

विरूद्ध

ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल अग्रवाल, निवासी– जैतहरी (म.प्र.)

--अनावेदक

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
22-11-2017

न्यायालय तहसीलदार, अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 37/अ–70/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25/09/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेकदगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदिका क्रमांक 1 ने रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28/06/2017 द्वारा भूमि स्वामी गायत्री देवी से सर्वे क्रमांक 42/1घ/1 रकबा 0.030 एकड़ क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तदानुसार राजस्व अभिलेख में आवेदिका के नाम नामांतरण हो गया था।

2. यहकि, अनावेदक द्वारा भी सर्वे क्रमांक 42/1घ/2 रकबा 0.023 एकड़ क्रय किया था।

... क्रमांक 1 द्वारा आवेदिका एवं उसके पति के विरूद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/4584

सुषमा विरूद्ध **ओमप्रकाश**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 37/अ-70/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (3) (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	